रक्षा सम्पदा संगठन
Defence Estates Organisation

रक्षा सम्पदा संगठन

सेवा प्रोफ़ाइल

भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा
(आईडीईएस)

संगठन की संरचना

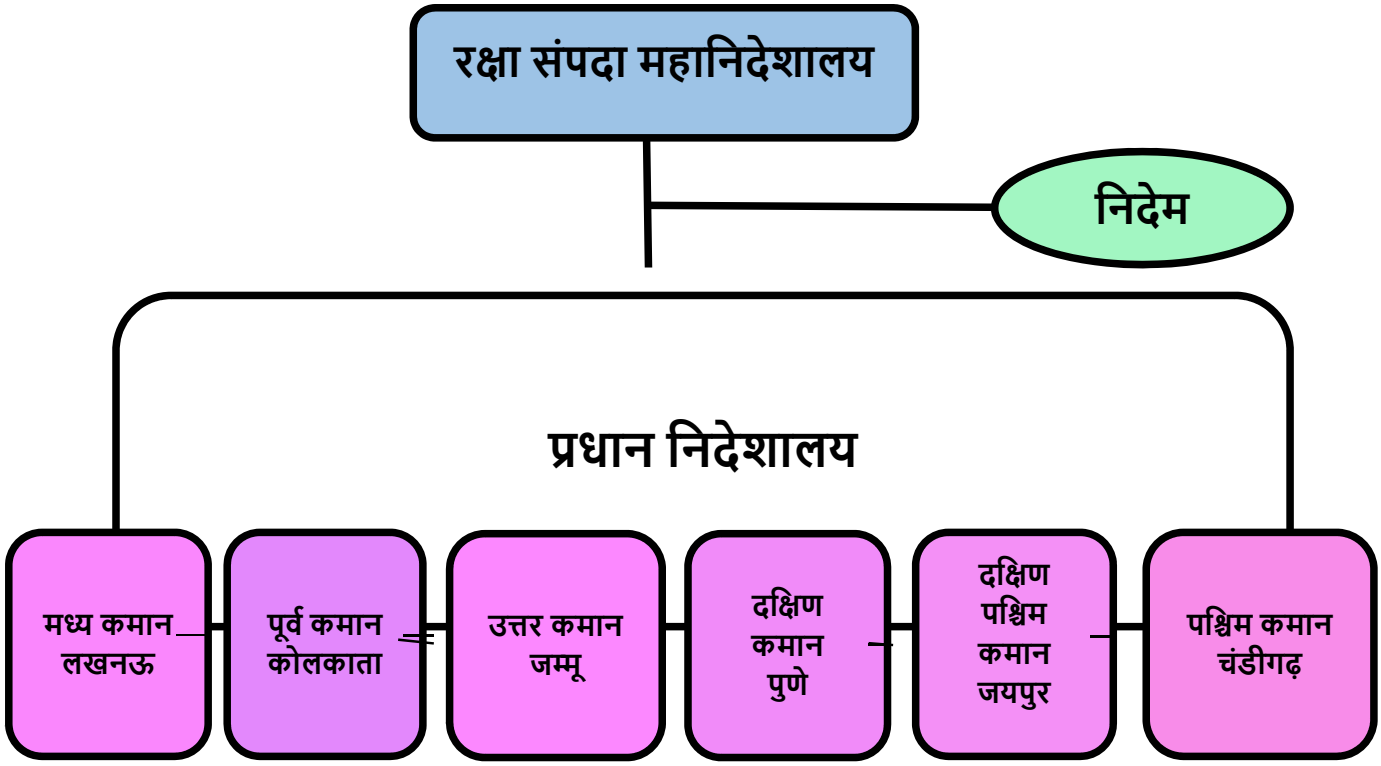

61 छावनी परिषद	39 रक्षा संपदा मंडल	4 एडीईओ

अवलोकन

भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (आईडीईएस) रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के अधीन एक संगठित समूह क केंद्रीय सेवा है। सेवा में भर्ती यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर होती है। विभाग 16 दिसंबर, 1926 को अस्तित्व में आया। आईडीईएस का विकास गहरे रूप से हमारे राष्ट्र के आधुनिक इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। सेवा को प्रारम्भ में सैन्य भूमि और छावनी सेवा और फिर रक्षा भूमि और छावनी सेवा के रूप में जाना जाता था। 1985 में, इस सेवा को औपचारिक रूप से भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा के रूप में जाना जाने लगा। भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (ग्रुप 'क') नियम, 2013 के तहत प्रदान की गई इस सेवा में 75% सीधी भर्ती द्वारा और 25% पदोन्नति द्वारा भर्ती की जाती है।

संरचना का विवरण

सेवा की संरचना 3 स्तरीय है। शीर्ष स्तर पर दिल्ली छावनी स्थित महानिदेशालय है। महानिदेशालय का सम्पूर्ण कार्यभार संभालने वाले अधिकारी आईडीईएस के सदस्य हैं। महानिदेशालय का नेतृत्व महानिदेशक द्वारा किया जाता है, जिनका शीर्ष वेतनमान (रु. 2,25,000/- निर्धारित) में हैं। एक वरिष्ठ अपर महानिदेशक (एचएजी) और 04 अपर महानिदेशक (एसएजी) हैं जो विशिष्ट प्रभागों के प्रभारी हैं। महानिदेशालय सभी छावनी और भूमि मामलों पर रक्षा मंत्रालय और सेवा मुख्यालय को परामर्श देता है। यह छावनी अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन, नियम और विनियम, सरकार की नीतियां और कार्यकारी अनुदेशों की निगरानी करता है । महानिदेशालय उपयोगकर्ता सेवाओं की भूमि और भवन संबंधी आवश्यकताओं को अधिग्रहण अथवा किराए के जरिए पूरा करता है।

मध्य स्तर में फील्ड कार्यालयों की निगरानी करने वाले क्षेत्रीय मुख्यालयों के रूप में निदेशालय शामिल हैं। 6 सेना कमानों के साथ सह-स्थित 6 निदेशालय हैं। ये लखनऊ, पुणे, जम्मू, कोलकाता, चंडीगढ़ में स्थित हैं और 2006 में जयपुर में स्थापित सबसे नई कमान, दक्षिण-पश्चिमी कमान है। निदेशालयों का नेतृत्व प्रधान निदेशक (एचएजी) करते हैं, जिनकी सहायता निदेशक (एसएजी) और अन्य कर्मचारी अधिकारी करते हैं, ये सभी आईडीईएस से हैं।

फील्ड स्तर पर, 61 छावनी परिषदों में मुख्य अधिशासी अधिकारी और 38 रक्षा संपदा मंडलों में रक्षा संपदा अधिकारी और 04 सहायक रक्षा संपदा कार्यालय हैं, जिनमें प्रशासन स्तर पर अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता हैं। मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी का कार्यकारी प्रमुख होता है और दैनंदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। रक्षा सम्पदा अधिकारी (डीईओ) भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में केंद्र सरकार का एक अभिकर्ता है। मुख्य अधिशासी अधिकारी और रक्षा संपदा अधिकारी दोनों आईडीईएस अधिकारी होते हैं।

राष्ट्रीय रक्षा सम्पदा प्रबंधन संस्थान (निदेम) विभाग का प्रशिक्षण संस्थान है और विभाग के प्रोबेशनर को प्रारंभिक प्रशिक्षण एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसकी अगुवाई निदेशक (एसएजी) करते हैं और उन्हें 02 संयुक्त निदेशकों (जेएजी) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

मानव संसाधन

रक्षा सम्पदा संगठन रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। संगठन की कुल नफरी लगभग **18,251** है। इस नफरी का विभाजन इस प्रकार है:

क) भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (आईडीईएस) जिसमें 189 समूह 'क' अधिकारी शामिल हैं, जिसमें शीर्ष (सचिव) स्तर पर 01 पद, एचएजी (अतिरिक्त सचिव) स्तर पर 07 पद और एसएजी (संयुक्त सचिव) स्तर पर 19 पद शामिल हैं। ;

ख) मुख्य अधिशासी अधिकारी समूह 'ख', सहायक रक्षा संपदा अधिकारी, वरिष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव, सभी समूह 'ख' में, शामिल हैं जिनकी कुल संख्या 78 है।

ग) तकनीकी, लिपिकीय और सहायक कर्मचारी जिनकी संख्या 993 है, इन्हें भूमि प्रबंधन का कार्य सौंपा गया हैं; और

घ) छावनियों में कार्य कर रहे कार्मिकों की संख्या लगभग 17000 है जो छावनियों के नागरिक प्रशासन को देखते है।

भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (आईडीईएस) संवर्ग छोटा है, किंतु फिर भी सक्रिय और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने की ओर प्रतिबद्ध है। संगठन का विजन कथन, जिसमें विकासात्मक प्रशासन की भावना अंगीकार है, निम्न रूप में वर्णित है: -

"नवीन तकनीकों, क्षमता निर्माण एवं उत्तरदायी प्रशासन द्वारा भूमि प्रबंधन एवं छावनी क्षेत्रों को मॉडल टाउनशिप के रूप में विकसित करना"

मिशन कथन

1. भूमि प्रबंधन विशेषकर रक्षा भूमि अभिलेखों का अद्यतिकरण, रक्षा भूमि पॉकेटों की मैपिंग, छावनियों के भीतर सर्वेक्षण संख्याओं का चौतरफा मिलान एवं छावनियों के शहरीकरण हेतु विशेषताओं के निर्धारण में अंतरिक्ष तकनीक और ड्रोन का प्रभावी प्रयोग ।

2. मुख्य परियोजनाएं शुरू करना एवं इष्टतम भूमि उपयोग में कृत्रिम बुद्धि (एआई) एवं मशीन लर्निंग टूल (एमएल) को क्रमिक रूप से अंगीकार करना, बदलाव जांच (change detection), जन उपयोगी परियोजनाओं की योजना और उनका क्रियान्वयन एवं कार्य प्रक्रियाओं तथा विनियामक प्रकार्यों में मानवीय हस्तक्षेप कम करना।

3. रक्षा संपदा संगठन के सभी प्रमुख प्रकार्यों और प्रक्रियाओं में सूचना तकनीक का अधिकतम प्रयोग जिससे उच्च दक्षता और पूर्ण पारदर्शिता अपनाते हुए सभी हितधारकों को इज ऑफ बिजनेस और सैन्य आबादी सहित छावनियों में रहने वाले निवासियों को इज ऑफ लिविंग प्रदान किया जा सके।

4. राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान (निदेम) और उसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) द्वारा विशेषज्ञ भागीदारों के सहयोग से अद्यतन भूमि और शहरी प्रबंधन टूल्स में आंतरिक और अन्य सरकारी संगठनों हेतु बाहरी रूप से क्षमता विकसित करना।

5. रक्षा भूमि की प्रभावकारी संरक्षा, अतिक्रमण हटाना या उन्हें विनियमित करना, ओल्ड ग्रांट तथा लीज पर दी गई भूमि के प्रबंधन में सुधार, अवसंरचना एवं जन उपादेयता वाली परियोजनाओं हेतु तय समय सीमा में भूमि स्थानांतरण शुरू करना एवं सभी भूमि मामलों के प्रबंधन में इच्छित नीति बनाने में सरकार को राय देना, ये सभी कार्य सशस्त्र बलों की सुरक्षा को प्रभावित किए बगैर किए जाएंगे।

6. भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं का प्रभावी तरीके से प्रबंधन करना। भूमि अधिग्रहण के पूर्व और पश्चात मामलों की प्रक्रिया और उनका व्यवस्थापन इस तरह से करना कि अधिग्रहण और अधिग्रहण पश्चात मुआवजा लागत पर न्यूनतम पूंजी लागत आए।

7. टाइटल सूट, अधिग्रहण पश्चात विधिक भूमि मामले तथा अन्य रक्षा भूमि विवादों में सरकार के हित संरक्षण हेतु डीईओ द्वारा प्रभावी विधिक प्रबंधन सुनिश्चित करना।

8. विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में केंद्र सरकार के अन्य विभागों के भूमि सर्वेक्षण और भू-अभिलेख प्रबंधन की दिशा में दक्ष होना।

9. छावनी बोर्ड की वित्तीय प्रबंधन क्षमता को स्थानीय राजस्व वृद्धि, राज्य सरकार से अपेक्षित राजस्व भागीदारी तथा अनुदान प्राप्ति एवं सभी केंद्रीय तथा राज्य सरकार की अवसंरचना विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ उठाते हुए स्थापना व्यय का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए बढ़ाना।

10. पेयजल-आपूर्ति नेटवर्क, सीवरेज और एसटीपी, जल निकासी, स्कूल, अस्पताल एवं औषधालय, दिव्यांग केंद्र, वृद्धाश्रम, पर अधिक बल देते हुए छावनी के उच्चतम गुणवत्ता वाली सार्वजनिक अवसंरचना का विकास और रखरखाव।

11. भारत में छावनियों का आदर्श टाउनशिप के रूप में विकास निम्नलिखित स्थायी:-

(क) विकास

(ख) ठोस एवं द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन

(ग) ग्रीन कवर बढ़ाना

(घ) स्मार्ट नगर निकाय समाधान ढूंढना

(ड़) जन शिकायतों का समय पर समाधान एवं

(च) इज ऑफ लिविंग को बढ़ावा

जैसे तरीकों के इस्तेमाल द्वारा उनमें रहने वालों के जीवन स्तर को ऊंचा करते हुए किया जाना।

12. छावनियों की प्रशासनिक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं सैन्य इतिहास की उत्पति दर्शाने वाले महत्वपूर्ण और मूल्यवान दस्तावेजों के संग्रह का विकसन और अनुरक्षण।

13. शांतिपूर्ण सहअस्तित्व हेतु सैन्य-नागरिक संबंधों को मजबूत करने एवं सभी निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से छावनी बोर्डों को सक्षम बनाना।

पुनरावलोकन

भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (आईडीईएस) भारत सरकार की समूह 'क' की सिविल सेवा हैं। आईडीईएस अधिकारी रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रक्षा सम्पदा संगठन के लिए कार्य करते हैं। संगठन का उद्गम 1926 से माना जा सकता हैं जब गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल द्वारा छावनी विभाग को स्थायी आधार पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

रक्षा सम्पदा संगठन छावनी बोर्डों के माध्यम से छावनियों के नगरीय मामलों का प्रबंधन और प्रशासन कार्य संभालता हैं। ये बोर्ड सवैधानिक स्थिति वाले स्वशासन के स्थानीय स्वायत्त निकाय हैं। इन बोर्डों में आईडीईएस अधिकारियों को मुख्य अधिशासी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस स्वायत्ता (Capacity) में, उनके पास दूसरों के लिए 'प्रेरणा स्रोत' बनने और स्थानीय निवासियों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने हेतु प्रेरक रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त है। छावनी बोर्डों को छावनियों में स्कूल, अस्पताल, बुनियादी अवसंरचना (अर्थात सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति आदि), स्वच्छ वातावरण और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है।

देश की सभी 61 छावनियां सशस्त्र बलों और स्थानीय नागरिक आबादी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध की परिचायक हैं। अधिकांश छावनियाँ अतीत की समृद्ध विरासत को अपने में समेटे हैं, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ इनके लेआउट, विशाल फैले ओल्ड ग्रांट बंगले, विभिन्न भू-स्वामित्वों, महत्वपूर्ण स्मारकों, समृद्ध प्रलेखन और लोककथाओं में देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, छावनियां पूरे परिवेश में फैली चमकदार ऐतिहासिक घटनाओं के स्थानिक प्रतिनिधित्व हैं।

रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में सबसे बड़ा भूमि धारक है। लगभग 17.57 लाख एकड़ में फैली रक्षा भूमि, विभिन्न भूमि उपयोगकर्ताओं, जैसे सेना, नौसेना, वायु सेना और अन्य संगठन, जैसे आयुध निर्माणी बोर्ड, डीआरडीओ, डीजीक्यूए और सीजीडीए आदि के पास है। रक्षा संपदा संगठन रक्षा भूमि के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करता हैं। यह देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 38 रक्षा सम्पदा

कार्यालयों के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व, अधिभोग, किरायेदारी और अन्य कानूनी अधिकारों को भी सुरक्षित करता है। इन रक्षा सम्पदा कार्यालयों के प्रमुख आईडीईएस अधिकारी भी होते हैं।

रक्षा सम्पदा संगठन के कार्य

रक्षा सम्पदा संगठन के कार्य निम्नानुसार हैं

(क) पूरे देश में फैले 37 रक्षा सम्पदा अधिकारियों के माध्यम से लगभग 17.57 लाख एकड़ की रक्षा भूमि का प्रबंधन।

(ख) 61 छावनी परिषदों का प्रशासन, छावनी अधिनियम, 1924 (अब 2006) के तहत अधिसूचित अनुसार कई छावनियों में स्थापित स्थानीय स्वशासन रूप में चलाया जाता हैं।

(ग) रक्षा उद्देश्यों से अचल संपत्तियों का अधिग्रहण, किराए पर लेना और पुनर्ग्रहण।

(घ) रक्षा भूमि का निपटान।

(ड़) रक्षा उद्देश्यों से अधिग्रहीत भूमि के विवाद मामले निपटाना।

(च) रक्षा भूमि के स्वामित्व मामलों पर वाद और मुकदमों का संचालन।

(छ) विशेष कानून जैसे छावनी अधिनियम, 2006; सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971; मध्यस्थता अधिनियम; (यूएलसी अधिनियम, 1976), किराया नियंत्रण अधिनियम आदि), के अंतर्गत प्रदत्त अर्धन्यायिक प्रकार्यों का निष्पादन।

आईडीईएस की भर्ती

भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (ग्रुप 'क') नियम 1985 के तहत आईडीईएस में 75% सीधी भर्ती और 25% पदोन्नति द्वारा है।

प्रशिक्षण

सीधी भर्ती (DRs) और पदोन्नत आईडीईएस अधिकारी दोनों को ही दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा सम्पदा प्रबंधन संस्थान (निडेम) में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। परिवीक्षा अवधि के सफल समापन के बाद अधिकारियों की सेवा में पुष्टि की जाती है। इसके अलावा, आईडीईएस अधिकारियों के पूरे सेवा काल में प्रशिक्षण का प्रावधान है। विशिष्ट पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिकारियों को अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में भी भेजा जाता है।

फील्ड पोस्टिंग के दौरान आईडीईएस अधिकारियों द्वारा धारित पदनाम

(i) मुख्य अधिशासी अधिकारी (छावनी परिषदों में)

(ii) रक्षा संपदा अधिकारी

<u>वेतन संरचना के साथ महानिदेशालय और निदेशालय में पदनाम</u>

क्रम सं	**निदेशालय में पद**	**महानिदेशालय में पद**	**समयमान**	**वेतन मान**
1	----------	महानिदेशक रक्षा सम्पदा	सचिव स्तर का पद	2,25,000- (निर्धारित) शीर्ष मान (लेवल-17)
2	प्रधान निदेशक	वरिष्ठ अपर महानिदेशक	उच्च प्रशासनिक ग्रेड	लेवल -15
3	निदेशक	अपर महानिदेशक	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	लेवल -14
4	संयुक्त निदेशक	उपमहानिदेशक	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (चयन)	लेवल -13
5	संयुक्त निदेशक	उपमहानिदेशक	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (साधारण)	लेवल -12
6	उप निदेशक	सहायक महानिदेशक	वरिष्ठ समयमान	लेवल -11
7	सहायक निदेशक	सहायक महानिदेशक	कनिष्ठ समयमान	लेवल -10

अन्य संगठन /निकायों में आईडीईएस अधिकारियों की नियुक्ति

आईडीईएस अधिकारियों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्वायत्त संगठनों/अधीनस्थ संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है।

पदोन्नति

समूची कैरियर अवधि में, आईडीईएस अधिकारी का वेतन ओर पदोन्नति रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय और यूपीएससी में से गठित वरिष्ठ नौकरशाहों की समिति द्वारा कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, विजीलेन्स क्लियरेंस और संबंधित अधिकारी के समग्र रिकॉर्ड की जांच के आधार पर होती हैं। संगठन का शीर्ष पद महानिदेशक रक्षा सम्पदा का हैं जो भारत सरकार सचिव स्तर के पद समतुल्य हैं।

संवर्ग समीक्षा

आईडीईएस की संवर्ग समीक्षा का प्रस्ताव विचाराधीन है।